आर.एन.आर.

प्रमोद कोहली न्यायाधिपति, के सामने,

हरियाणा राज्य एवं अन्य.. अपीलकर्ता

बनाम

दाल चंद और अन्य .. उत्तरदाता

सी.एम. नंबर 2007 का 5161-सी

और आरएसए नंबर 2007 का 1787

11 मार्च, 2008

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908— ऑडर XXVII रुल 1 और 2- लीमिटेश्न अधिनियम, 1963- एस.5-अपील दायर करने में देरी-देरी की माफी के लिए आवेदन-पूरी तरह से अस्पष्ट, आत्म-विरोधाभासी और कोई पर्याप्त कारण नहीं बताना-नायब तहसीलदार द्वारा अपील और आवेदन-नायब-तहसीलदार के पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है और मुकदमेबाजी में एक पक्ष भी नहीं-आवेदन और अपील-आवेदन दायर करने में अक्षम-देरी की माफी 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज - आवेदन खारिज होने के परिणामस्वरूप अपील भी खारिज कर दी गई।

निर्णय दिया गया कि राज्य अपीलें नायब तहसीलदारों द्वारा दायर की जा रही हैं, न कि सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। ऐसी अपील अन्यथा अक्षम्य है। राज्य का प्रतिनिधित्व केवल एक सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो सरकार के व्यवसाय के नियमों या सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑडर XXVII नियम 1 और 2 या किसी अन्य नियम या एक अधिकारी के तहत विधिवत अधिकृत है जो मुकदमेबाजी में एक पक्ष है। वर्तमान मामले में, अपील को प्राथमिकता दी गई है और यह आवेदन एक नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है जिसके पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है और जो मुकदमे में एक पक्ष भी नहीं है। यह एप्लिकेशन अक्षम होने के अलावा किसी पर्याप्त कारण का खुलासा नहीं करता है। मैं इस आवेदन को उस लागत के साथ खारिज करने के लिए बाध्य हूं जो रुपये में निर्धारित है। ड्यूटी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों से एक लाख रुपये का भुगतान/वसूली की जाएगी।

(पैरा 5)

राजीव कवात्रा, सीनियर डी.ए.जी. हरियाणा, आवेदक के लिए-
अपीलकर्ता

परमोद कोहली, न्यायाधिपति (मौखिक):

(1) हरियाणा के विद्वान वरिष्ठ डी.ए.जी. को विस्तार से सुना।

(2) इस आवेदन के माध्यम से अपील दायर करने में 756 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है। जब मामला 10 सितंबर, 2007 को विचार के लिए आया तो आवेदक-अपीलकर्ताओं के वकील ने देर से अपील दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कुछ समय मांगा। इसके बाद, आवेदक-अपीलकर्ताओं ने

जिलाधीश, फ़रीदाबाद के 11 जनवरी, 2008 के आदेश के साथ, उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा एडवोकेट जनरल, हरियाणा, चंडीगढ़ को लिखे गए पत्र संख्या 215/सरप्लस दिनांक 15 जनवरी, 2008 को रिकॉर्ड पर रखा है। । यह सूचित किया गया है कि राम महेर, तत्कालीन नायब तहसीलदार (सरप्लस), फ़रीदाबाद, डॉ. नरेश कुमार, तत्कालीन नायब तहसीलदार (सरप्लस), जीवन दास तत्कालीन पटवारी और दीप चंद पटवारी-सरप्लस, अपील दायर करने में 756 दिन देरी के लिए उत्तरदायी थे। । 11 जनवरी, 2Q08 के आदेश के तहत पटवारियों जीवन दास और दीप चंद को निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त, गुड़गांव मंडल, गुड़गांव, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, तत्कालीन नायब तहसीलदार (सरप्लस) राम महर एवं डॉ. नरेश कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

(3) आश्चर्य की बात है कि डॉ. नरेश कुमार, नायब तहसीलदार (सरप्लस) न्यायालय में उपस्थित हैं और अभी भी वर्तमान अपील को देख रहे हैं। वह उन अधिकारियों में से एक हैं जिन पर ड्यूटी से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें मामले की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।

(4) जैसा कि आवेदन में स्थापित किया गया है, यह आवेदक-अपीलकर्ताओं का मामला है कि आक्षेपित निर्णय 31 मई, 2005 को पारित किया गया था। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेदन केवल 25 अगस्त, 2005 को दायर किया गया था, यानी लगभग इसके बाद तीन महीने और और उसकी प्रति के बाद निर्णय 9 सितंबर, 2005 को उपलब्ध कराया गया था। नरेश कुमार, तत्कालीन नायब तहसीलदार (अधिशेष) फ़रीदाबाद, और दीप चंद, पटवारी (अधिशेष), फ़रीदाबाद ने मामले का संक्षिप्त विवरण और निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां एकत्र कीं, लेकिन अनजाने में नायब तहसीलदार (सरप्लस) का पद खाली होने के कारण मामले की संक्षिप्त जानकारी और फैसले की प्रमाणित प्रतियां एडवोकेट जनरल, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में जमा नहीं की जा सकीं। ऐसा कहा गया है कि नायब तहसीलदार (सरप्लस), फ़रीदाबाद, 3 जुलाई, 2006 को स्थानांतरण पर इस पद पर शामिल हुए थे। यह कथन स्वयं विरोधाभासी है। एक ओर, यह कहा गया है कि नरेश कुमार, तत्कालीन नायब तहसीलदार (सरप्लस) फरीदाबाद और दीप चंद, पटवारी ने निर्णय और डिक्री और संक्षिप्त की प्रमाणित प्रतियां एकत्र कीं और दूसरी ओर, यह कहा गया है कि पोस्ट नायब तहसीलदार (सरप्लस) का पद रिक्त था और उसे 3 जुलाई, 2006 को ही भरा गया था। आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि 19 मार्च, 2007 को ही दीप चंद, पटवारी (सरप्लस), फ़रीदाबाद को चंडीगढ़ में हरियाणा के एडवोकेट जनरल से संपर्क करने का कर्तव्य सौंपा गया था। इस बारे में कोई तारीख नहीं दी गई है कि कब दीप चंद, पटवारी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के एडवोकेट जनरल से संपर्क किया और कब एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए कहा। आगे कहा गया है कि फाइल अन्य फाइलों के साथ मिल जाने के कारण समय पर अपील दायर नहीं की जा सकी। आवेदन में दिए गए कथन पूरी तरह से बकवास हैं और कहानी का कोई सार या अंत नहीं बनाते हैं।

(5) वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा का मानना है कि नायब तहसीलदार (अधिशेष), फ़रीदाबाद, इस न्यायालय में अपील दायर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यह कल्पना से परे है कि नायब तहसीलदार (अधिशेष) रैंक का एक अधिकारी राज्य की ओर से अपील दायर करने में सक्षम है। की गई कार्रवाई पूरी तरह से दिखावा प्रतीत होती है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, जो अपील दायर करने के लिए अन्यथा जिम्मेदार था/है, को जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। दरअसल, पटवारि स्तर के कुछ अधिकारियों का निलंबन भी केवल अदालत को यह बताने के लिए किया गया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही है। राज्य की संपत्ति को अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही से बेच दिया जा रहा है। यह दुखद स्थिति को दर्शाता है। आवेदन में दिए गए कथन पूरी तरह से अस्पष्ट, विरोधाभासी हैं और किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। आवेदन को उपायुक्त, फ़रीदाबाद के कार्यालय के नायब तहसीलदार (अतिरिक्त) ज्ञानी राम के शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया है। यहां यह देखना प्रासंगिक है कि राज्य की अपीलें नायब तहसीलदारों द्वारा दायर की जा रही हैं, न कि सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। ऐसी अपील अन्यथा अक्षम्य है। राज्य का प्रतिनिधित्व केवल एक सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो सरकार के व्यवसाय के नियमों या सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑडर XXVII नियम 1 और 2 या

किसी अन्य नियम या एक अधिकारी के तहत विधिवत अधिकृत है जो मुकदमेबाजी में एक पक्ष है। वर्तमान मामले में अपील को प्राथमिकता दी गई है और यह आवेदन एक नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है जिसके पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है और जो मुकदमे में एक पक्ष भी नहीं है। यह आवेदन अक्षम होने के अलावा किसी पर्याप्त कारण का खुलासा नहीं करता है। मैं इस आवेदन को उस लागत के साथ खारिज करने के लिए बाध्य हूं जो रुपये में निर्धारित है। ड्यूटी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों से एक लाख रुपये का भुगतान/वसूली की जाएगी।

6) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, इस संबंध में जांच शुरू करेंगे और जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेंगे। व्यक्ति/ व्यक्तियों की पहचान करने के बाद वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कर्तव्य से विमुख होने और वर्तमान अपील दायर करने में देरी करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। मुख्य सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में अपील राज्य की ओर से राज्य के सक्षम अधिकारी/व्यक्ति द्वारा दायर की जाये और किसी अयोग्य अधिकारी द्वारा नहीं।

(7) जब तक दोषी/जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से लागत की राशि वसूल नहीं की जाती, तब तक हरियाणा राज्य इसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के पास जमा कर देगा।

(8) अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए आवेदन खारिज होने के परिणामस्वरूप अपील भी खारिज हो जाती है।

(9) इस आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को तुरंत भेजी जाए। अनुपालन रिपोर्ट चार महीने की अवधि के साथ इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष दायर की जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा